व्यावसायिक लेन-देन प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देश

1.0 प्रस्तावना

1.1 एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) जिन संस्थाओ अर्थात् पार्टियों/ संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं / निविदाकारों से कारोबार करती है, उनसे नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानकों को अपनाने तथा सौंपे गए कार्य के प्रति बहुत उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता और ईमानदारी की आशा रखती है। एनएचपीसी के लिए ऐसे अभिकरणों, जो निविदाकरण और/अथवा सौंपे गए कार्य को किर्यान्वित करने में छल, कपट अथवा अन्य किसी कदाचार का सहारा लेते हैं, के साथ संबंध रखना हितकारी नहीं है और एनएचपीसी कार्य की गुणवता से समझौता किए बिना अवार्ड कीमत (Award value) में समय पर परियोजनाओं को किर्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध है।

1.2 चूंकि व्यापार कारोबारों को प्रतिबंधित करने में किसी संबंधित एजेंसी दीवानी परिणाम अंतर्ग्रस्त होते हैं, यह आवश्यक है कि सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर मुहैया करवाया जाए और यदि कोई स्पष्टीकरण दिया गया है तो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई आदेश दिए जाने से पूर्व उस पर विचार किया जाए।

2.0 कार्यक्षेत्र

2.1 एनएचपीसी के पास अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों की सूची (यदि ऐसी कोई है तो) में से किसी आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को निकालने अथवा किसी खराब अभिकरण को गैर निष्पादनकारी अथवा खराब निष्पादनकारी या कदाचार, अनैतिक अथवा धोखेबाजी किए जाने का दोषी या उसका ऐसा कोई भी कार्य, जो इस नीति में उल्लिखित ऐसी किसी श्रेणी के तहत आता हो, में संलिप्त पाए जाने पर उसे निलंबित करने या उसके लेन-देन को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

2.2 (i) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों की सूची से किसी एजेंसी को हटाने, (ii) निलंबित करने और (iii) एजेंसियों के साथ व्यापार कारोबार को प्रतिबंधित करने की प्रक्रियाविधि इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित की गई है।

2.3 ये दिशा-निर्देश एनएचपीसी की सभी यूनिटों पर लागू होंगी ।

2.4 ये दिशा-निर्देश एनएचपीसी के संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जब तक कि वे अभ्यर्पिती, उत्तरवर्ती अथवा निष्पादक न हों।

2.5 सत्यनिष्ठा समझोता(इंटिगिर्टी पैक्ट) के तहत निलंबन/प्रतिबंधन के अतिरिक्त अन्य निलंबन/प्रतिबंधन सापेक्ष प्रभावी अर्थात भावी व्यावसायिक लेन-देन से प्रभावी होंगे।

3.0 परिभाषाएं

इन दिशा-निर्देशों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों :

(i) "एजेंसी/पार्टी/संविदाकार/आपूर्तिकर्ता/निविदाकार/विक्रेता" का अर्थ किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई संयुक्त उद्यम, संघ, हिंदू अविभाजित परिवार, कोई फर्म चाहे पंजीकृत हो अथवा नहीं, कोई व्यक्ति, सहकारी समिति अथवा किसी वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि में नियोजित व्यक्तियों का कोई संघ या समूह से है तथा इसमें ये सभी शामिल है। इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में "पार्टी/संविदाकार/आपूर्तिकर्ता/ निविदाकार" को "एजेंसी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(ii) "**इकाई** " का अर्थ निगम मुख्यालय, एनएचपीसी की परियोजना/ पावर स्टेशन/ क्षेत्रीय कार्यालय/ संपर्क कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय है।

(iii) "**सक्षम प्राधिकारी**" तथा "**अपीलीय प्राधिकारी**" का अर्थ निम्नानुसार है :

क) निगम मुख्यालय से अवार्ड (Award) किए गए कार्यों/निविदाधीन कार्यों के लिए (अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी होंगे)

- सक्षम प्राधिकारी : अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- अपीलीय प्राधिकारी : निदेशक मंडल

ख) निगम मुख्यालय/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/क्षेत्रीय कार्यालयों/संपर्क कार्यालयों से अवार्ड किए गए कार्यों/निविदाधीन कार्यों के लिए (जो की निदेशक/कार्यपालक निदेशक की सामर्थ्य के अंदर आते है)

- सक्षम प्राधिकारी : संबंधित निदेशक/कार्यपालक निदेशक यथास्थिति
- अपीलीय प्राधिकारी : अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/संबंधित निदेशक यथास्थिति

ग) क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/संपर्क कार्यालयों से अवार्ड किए गए कार्यों/निविदाधीन कार्यों के लिए (जो कार्य महाप्रबंधक और उनसे निचले स्तर के अधिकारी की सामर्थ्य मे आते है)

- सक्षम प्राधिकारी : इकाई प्रमुख जो की मुख्य अभियंता/प्रमुख से निचले स्तर के नीचे न हो
- अपीलीय प्राधिकारी : अगला उच्च प्राधिकारी

iv) अन्वेषक समिति का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण के लिए नियुक्त समिति

4.0 प्रतिबंध / निलंबन को प्रारंभ करना

किसी एजेंसी के साथ व्यापार कारोबारों को प्रतिबंधित/ निलंबित करने हेतु कार्यवाई संबंधित एजेंसी की ओर से अनियमितताओं अथवा कदाचार पाए जाने के पश्चात् निविदा आमंत्रित करने बाला विभाग/ इंजीनियर इन चार्ज द्वारा कारवाई प्रारंभ की जाएगी। संबंधित विभाग के अलावा, प्रत्येक यूनिट / कॉर्पोरेट सतर्कता के सतर्कता विभाग भी ऐसी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए सक्षम होगे।

5.0 व्यापार कारोबारों का निलंबन

5.1 यदि एनएचपीसी से कारोबार कर रही किसी एजेंसी का आचरण जांच के अधीन है तो सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार कर सकते हैं कि आरोप (जांच के अधीन) गंभीर प्रकृति के हैं अथवा नहीं और क्या जांच लंबित होने पर ऐसी एजेंसी के साथ व्यापार कारोबार को जारी रखने का परामर्श दिया जा सकता है अथवा नहीं। यदि सक्षम प्राधिकारी, मामले पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लेते हैं कि जांच लंबित होने के चलते व्यापार कारोबार को जारी रखना हित में नहीं होगा, तो वह संबंधित एजेंसी के साथ व्यापार कारोबार को निलंबित रख सकते हैं। निलंबन के आदेश की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी और उसे एजेंसी तथा जांच समिति को सम्प्रेषित किया जा सकता है। जांच समिति यह सुनिश्चित कर सकती है कि उनकी जांच और अंतिम आदेश की समूची प्रक्रिया इस अवधि के भीतर पूरी हो। तथापि, यदि जांच 6 माह के समय में पूरी नहीं की जाती है तो सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि को और 3 माह हेतु बढ़ा सकते हैं जिसके दौरान जांच निश्चित रूप से पूरी कर ली जानी चाहिए। अन्वेषक समिति समय बढ़वाने, अधिकतम अगले तीन माह, जिसमें समिति कार्रवाई को पूरा करने के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

5.2 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक /निदेशकों की सामर्थ में आने वाले कार्य के संबंध में निलंबन आदेश पूरे निगम पर, कार्यपालक निदेशक की सामर्थ में आने वाले कार्य के संबंध में निलंबन आदेश पूरे क्षेत्र पर और परियोजना प्रमुख व निचले स्तर के अधिकारियों की सामर्थ में आने वाले कार्य के संबंध में यह आदेश परियोजना/पावर स्टेशन तथा संबद्ध संपर्क कार्यालयों/इकाइयों पर लागू होंगे, और उन एजेंसियों के साथ कोई कारोबार नहीं किया जाएगा।

5.3 यदि संबंधित एजेंसी निलंबन के विस्तृत कारणों को जानना चाहती है, तो उस एजेंसी को सूचित किया जा सकता है कि उसका आचरण जांच के अधीन है। इस स्तर पर एजेंसी के साथ पत्राचार अथवा तर्क करना आवश्यक नहीं है।

5.4 एजेंसी को निलंबन के आदेश जारी करने से पहले किसी भी प्रकार कारण बताओ नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

5.5 व्यावसायिक लेन– देन पर निलंबन की सूचना के लिए प्रारूप परिशिष्ट-I पर दिया गया है।

6.0 व्यापार कारोबारों पर प्रतिबंध प्रारंभ करने के आधार

6.1 यदि सुरक्षा विचारों के चलते ऐसा आवश्यक हो तो, इसमें एनएचपीसी के प्रति एजेंसी की वफादारी शामिल है।

6.2 यदि एजेंसी का निदेशक/ स्वामी, फर्म का प्रोपराइटर अथवा भागीदार पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी अदालत द्वारा सरकारी अथवा अन्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ अपने व्यापार कारोबारों के संबंध में नैतिक भ्रष्टता शामिल अंतर्ग्रस्त होने वाले अपराधों से जुड़े अपराधी ठहराया गया हो।

6.3 यदि एजेंसी ने भ्रष्ट, धोखाधड़ी, अवपीड़क अथवा सांठ गांठ पूर्ण व्यवहार का सहारा लिया हो जिसमें तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण और संविदा में दिए गए सत्यनिष्ठा समझौता के किसी प्रावधानों का उल्लघंन किया गया हो ।

6.4 यदि एजेंसी संविदा के अंतर्गत उनके कार्य की स्वीकृति /कार्य निष्पादन के लिए एनएचपीसी अथवा उसके पदाधिकारी को धमकाती है / मजबूर करती है अथवा उन पर अनुचित बाहरी दबाव डालती है ।

6.5 यदि एजेंसी एनएचपीसी के परिसर अथवा सुविधाओं का दुरूपयोग करती है, भूमि, जल-संसाधनों, वृक्षों या दस्तावेज़ों/रिकॉर्ड आदि एनएचपीसी की संपत्तियों के साथ छेड़-छाड़ करती है या इन पर जबरदस्ती कब्ज़ा करती है अथवा क्षति पहुंचाती है ।

6.6 यदि एजेंसी संविदा के अधीन आवश्यक दायित्वों को पूरा नहीं करती तथा संविदा के निबंधनों व शर्तों का उल्लघंन करती है जिसका संविदा की निरंतरता पर गंभीर प्रभाव होगा ।

6.7 यदि एजेंसी को सौंपे गए कार्य पिछले पांच वर्षों में संविदा के खराब निष्पादन के कारण एनएचपीसी द्वारा समाप्त कर दिया गया है ।

6.8 यदि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा केन्द्र सरकार कोई को जांच एजेंसी इस प्रकार की संस्तुति करती है, कंपनी से जुड़े अथवा अन्यथा मामलों, जिनमें एजेंसी के अनुचित आचरण के कारण इनकी जांच की जा रही हो ।

6.9 किसी भी अन्य आधार, जिसके कारण ऐजंसी के साथ व्यावसायिक लेन-देन सार्वजनिक हित में नहीं हो ।

6.10 यदि विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार अथवा किसी पीएसयू या विद्युत मंत्रालय के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण ने यदि उस एजेंसी के साथ कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा रखा हो और एनएचपीसी को उसकी सूचना दी गई हो या विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसी सूचना उपलब्ध हो तो उस एजेंसी के साथ व्यावसायिक लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध, सत्यनिष्ठा समझौता के तहत बिना आगे की जांच के अतिरिक्त, लगाया जाएगा ।

(टिप्पणी : उपरोक्त दिए गए उदाहरण केवल व्याख्यात्मक है तथा पूर्ण नहीं है । सक्षम प्राधिकारी व्यावसायिक लेन-देन को किसी अच्छे तथा पर्याप्त कारण से प्रतिबंधित करने का निर्णय ले सकते हैं ।)

7.0 व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध करने की प्रकिर्या :

7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिये एक जाच समिति गठित की जायगी जिसके सदस्य इंजीनियरिंग/इंडेन्टिंग विभाग(कन्वेनर), वित्त, विधि तथा संविदा विभाग से होगे । सीएमडी/निदेशक मंडल के सामर्थ्य में आने वाले कार्यों के लिए समिति के सदस्यों का स्तर महाप्रबंधक व उससे ऊपर, निदेशक/कार्यपालक के सामर्थ्य में आने वाले कार्यों के लिए मुख्य अभियंता/प्रमुख स्तर व उससे ऊपर तथा महाप्रबंधक के सामर्थ्य में आने वाले कार्यों के लिए वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक स्तर जिसमे से कम से कम एक सदस्य मुख्य अभियंता/प्रमुख के स्तर का होगा ।

7.2 व्यावसायिक लेन-देन के प्रतिबंधित अवधि के दौरान, एजेंसी के साथ कोई व्यवसायिक लेन-देन नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति, जहां चूक की गंभीरता आधार हो, यह निर्णय किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी और परियोजना/ क्षेत्र द्वारा प्रतिबंध को क्षेत्र/ पूरी एनएचपीसी तक बढ़ाया है तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/संबंधित निदेशक, यथास्थिति का अनुमोदिन प्राप्त किया जाएगा । जो कार्य अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/संबंधित बोर्ड के निदेशक/निदेशकों की सामर्थ के अंदर आते है उनके लिये व्यापार प्रतिबंध का आदेश संपूर्ण एनएचपीसी में, जो कार्य क्षेत्रिय कार्यपालक निदेशक की सामर्थ के अंदर आते है उनके लिये संबंधित क्षेत्र (Region) में तथा जो कार्य परियोजना प्रमुख एवं उनके नीचे के अधिकारी की सामर्थ मे आते है, के लिये प्रतिबंध का आदेश उस परियोजना एवं संबंधित Liaison ऑफिस /इकाई में प्रभावी होगी।

7.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक इकाई मे नियुक्त की जाने वाली अन्वेषक समिति के कार्य पैरा 3(iii) के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी होंगें :

(क) बोली आमंत्रित करने के लिए उत्तरदायी विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन करना और यह निर्णय लेना कि प्रथम दृष्टया प्रतिबंध हेतु कोई मामला बनता है अथवा नहीं, यदि नहीं, तो मामले को वापिस सक्षम प्राधिकारी को लौटा देना।

(ख) खंड 7.4 के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा एजेंसी को कारण बताओं नोटिस (विधि विभाग द्वारा पुनर्निरीक्षण के बाद) जारी किए जाने की सिफारिश करना।

(ग) कारण बताओ नोटिस के उत्तर की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो एजेंसी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आमंत्रित करना।

(घ) प्रतिबंध लगाने अथवा अन्यथा हेतु सक्षम प्राधिकारी को अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करना।

7.4 **कारण बताओ नोटिस** :

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है तो सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दोषी एजेंसी को उक्त उद्देश्य के लिए कारण बताओ नोटिस (इन दिशा-निर्देशों की परिशिष्ट-II पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार) जारी किया जाएगा। एजेंसी को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने को कहा जाएगा । इसके अतिरिक्त एजेंसी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक सुनवाई, यदि वह इच्छुक हैं, के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा और मौखिक सुनवाई की तारीख कारण बताओ नोटिस में अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

कारण बताओ नोटिस जारी करने का उद्देश्य केवल यह है कि कोई कार्रवाई करने से पहले संबंधित एंजेसी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर मिल जाए। वह आधार, जिस पर कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है, एजेंसी से अभ्यावेदन मंगवाया जाएगा और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, एजेंसी के समक्ष प्रकट किया जाएगा, आदेश पारित किए जा सकते हैं। केवल अंतिम आदेश पारित किए जाने वाले प्राधिकारी को ऐसे आदेश से संतुष्ट होना चाहिए।

यदि एंजेसी एनएचपीसी के पास उपलब्ध किसी प्रासंगिक दस्तावेज के निरीक्षण हेतु अनुरोध करती है तो दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जाएगी।

केवल एजेंसी के नियमित प्राधिकृत कर्मचारियों को ही मौखिक सुनवाई के दौरान एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाएगी और उनकी ओर से किसी अन्य बाह्य व्यक्ति को एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

समिति एजेंसी द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का उत्तर तथा मौखिक सुनवाई में दी गई उसकी प्रस्तुतियां, यदि कोई हो, पर सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी।

यदि एजेंसी से कारण बताओ नोटिस का उत्तर निर्धारित समय में से प्राप्त नहीं होता है तो,एजेंसी को 10 दिनों का अतिरिक्त समय देते हुए अनुस्मारक दिया जाएगा । यदि एजेंसी से इसके बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो संबन्धित एजेंसी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

7.5 स्पीकिंग आर्डर :

सक्षम प्राधिकारी या उक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक लेने देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पीकिंग आर्डर(रिजण्ड ऑर्डर) जारी किया जाएगा।

कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उत्तर के संबंध में दिए गए अभिवेदन, यदि कोई हो, के उत्तर में भी विचार करने के पश्चात व्यावसायिक लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में लिए गए सुविवेचित आदेश के साथ संबंधित एजेंसी को सूचित किया जाएगा। एजेंसी को भेजे गए पत्राचार में इस तथ्य का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा कि उसके अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। इसके साथ ही एजेंसी से किए गए अंतिम पत्राचार में कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के संबंध में भी उल्लेख किया जाएगा। व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की सूचना का मसौदा परिशिष्ट-।।। में दिया गया है।

7.6 प्रतिबंध की अवधि :

यदि सत्यनिष्ठा समझौता के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर कार्रवाई की गई है तो 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा और यदि खराब निष्पादन के कारण संविदा को समाप्त किया गया है तो प्रतिबंध की अवधि 5 वर्षों की होगी। संयुक्त उद्यम /कंसोर्टियम को अवार्ड की गई संविदाओं के लिए संयुक्त उद्यम के किसी संघटक को बोली प्रक्रिया में भाग लेने कि अनुमति होगी, बशर्ते इसे उस निविदा प्रक्रिया, जिसके कारण संयुक्त उद्यम को प्रतिबंधित किया गया हो, इसके उत्तरदायित्व अथवा भूमिका का कारण प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। उस स्थिति, जिसमें संयुक्त उद्यम, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, ने अपने पृथक-पृथक भागीदारों कि भूमिकाओं और उत्तरदायित्व को अलग-अलग नहीं दर्शाया है, भागीदार को बोली प्रक्रिया में अनुमति केवल तभी होगी जब संयुक्त उद्यम में उसकी भागीदारी 35% से कम हो।

निविदा पाने कि प्रतिस्पर्धा में किसी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कि गई सूचनाएँ / दस्तावेज़ यदि मिथ्या / जाली पाए जाते हैं तो उस स्थिति में एनएचपीसी, बिना किसी पूर्वाग्रह अधिकार अथवा प्रतिकार के, जो इसके अधिकार क्षेत्र में हो, इन सूचनाओं / दस्तावेजों कि प्रामाणिकता को स्थापीत करने के लिए इनके भौतिक निरीक्षण पर

हुए व्यय को ऐसी एजेंसी से वसूलेगी । यदि एजेंसी ऐसी प्रतिपूर्ति करने से इंकार करती है तो उसके विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध कि अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी ,

7.7 प्रतिबंध का प्रभाव :

यदि सक्षम प्राधिकारी, उन जारी संविदाओं को रोकने पर पैदा हुए विधिक एवं संविदा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उस मामले की परिस्थितियों के आधार पर अन्यथा निर्णय नहीं करता है तो जहां तक संभव हो, उस एजेंसी के साथ वर्तमान में जारी संविदाओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है यदि मौजूदा संविदाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो कार्य के लिए जारी प्रमाण पत्र में व्यावसायिक लेन-देन के निलंबन/ प्रतिबंध के साथ-साथ संविदाकार की चूक का भी उल्लेख किया जाएगा ।

एजेंसी (व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध का आदेश जारी करने के पश्चात) को किसी भावी टेंडर इनक्वायरी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और यदि एजेंसी स्टैंड अलोन अथवा संयुक्त उद्यम का संघटक के तौर पर पहले ही निविदा प्रकिर्या में भाग ले चुकी है या तो मूल्य बोलियां खोली नहीं गई है तो उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली अस्वीकार कर दी जाएगी और मूल्य बोली को बिना खोले ही उन्हें वापस कर दिया जाएगा । तथापि प्रतिबंध आदेश जारी होने से पहले यदि एजेंसी की मूल्य बोलियों को खोल दिया गया है तो एजेंसी की बोलियों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निविदा प्रकिर्या जारी रहेंगी , यदि सक्षम प्राधिकारी, उन जारी संविदाओं को रोकने पर पैदा हुए विधिक एवं संविदा संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उस मामले की परिस्थितियों के आधार पर अन्यथा निर्णय नहीं करता है। परंतु सत्यनिष्ठा समझौता के तहत प्रावधानों के चूक के कारण एजेंसी को निलंबित/प्रतिबंधित किए जाने के स्थिति में एजेंसी सबसे कम बोली लगाती है तो, बोली प्रकिर्या रद्द कर दी जाएगी तथा नई निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी ।

निलंबन/प्रतिबंध की अवधि के दौरान यदि किसी अवस्था में यह पाया जाता है कि एजेंसी ने दूसरे नाम से निविदा इंक्वायरी में भाग लिया है तो ऐसी एजेंसी को निविदा/संविदा से तत्काल विवर्जित कर दिया जाएगा और उसकी बोली प्रतिभूति/निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी । यदि कोई भुगतान किया गया है तो वह भी वसूल किया जाएगा ।

निलंबन/प्रतिबंध आदेश के बाद निलंबित/प्रतिबंधित एजेंसी को उप विक्रेता/उप संविदाकारों के रूप में निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त यदि निलंबित/प्रतिबंधित एजेंसी ऐसे उपकरण/संघटक/सेवा के लिए किसी संविदा के तहत अनुमोदित उप विक्रेता है तो मुख्य संविदाकार को निलंबन/प्रतिबंध की तारीख के पश्चात उप विक्रेता/उप संविदाकार को कार्य आदेश/क्रय आदेश/संविदा पूर्व में पार्टी का नाम उप विक्रेता/उप संविदा के तौर पर अनुमोदित होने पर भी देने की अनुमति नहीं होगी ।

उन एजेंसियों से कल-पूर्जे खरीदने और उन्हें वार्षिक अनुरक्षण/एएमसी/ओएण्डएम/मरम्मत संबंधी कार्य पंचाट करने पर कोई रोक, ऐसी एजेंसी द्वारा उपकरण की आपूर्ति कर दी गई है, तो नहीं होगी । तथापि उप संविदाकार द्वारा की गई चूक के मामले में, उप संविदाकार के साथ-साथ संबंधित संयुक्त उद्यम के मुख्य भागीदार या एकल बोलीदाता पर भी प्रतिबंध लागू होगा ।

7.8 **एनएचपीसी वेबसाइट पर होस्टिंग :**

संबंधित यूनिट प्रतिबंधित एजेंसी(यों) के नाम एवं ब्यौरे सहित प्रतिबंध की अवधि एवं क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को एनएचपीसी वेबसाइट पर प्रदर्शन करने के लिए प्रेषित करेंगी ।

8.0 **सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील :**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक लेन-देन पर लगाए गए प्रतिबंध के निर्णय के विरूद्ध एजेंसी के सक्षम प्राधिकार अपीलीय प्राधिकरण में अनुरोध कर सकते है । ऐसी अपील व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर की जानी चाहिए । अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेगा और आश्वस्त होने पर मामले की आगे की जांच के लिए एक समिति गठित करेगा । समिति की सिफारिशों के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त आदेश जारी किए जाएगें । ये आदेश को एजेंसी के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को भी (इन दिशा-निर्देशों के साथ लगे परिशिष्ट-IV पर दिए गए मसौदे के अनुसार) प्रेषित किए जाएगें ।

9.0 **व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध एजेंसियों के नाम परिचालित करना**

संबंधित प्रतिबंधित एजेंसी का नाम विद्युत मंत्रालय, इस क्षेत्र के अन्य पीएसयू और एनएचपीसी की सभी यूनिटों के साथ साझा किया जाएगा ।

इस नीति के प्रावधान पूर्व में जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों, प्रक्रियाओ एवं प्रणालियों का प्रतिअधिक्रमण (Override) करते हुए समान उद्देश्यों के लिए प्रतिस्थापित करेगा ।

नोट: यह व्यावसायिक लेन-देन में प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देश के मामले में अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में लिखित शब्दों के बीच किसी प्रकार के अंतर होने का स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।